न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 184/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/298

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.केसीदेवी पत्नि गिरधारीराम 2.भैरी पत्नि पुनमाराम 3.लेहरोदेवी पत्नि भगवानाराम जाति जाट निवासी कतवारी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.पारूदेवी पत्नि जुगताराम जाति जाट निवासी क़तवारी तहसील पचपदरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 3. सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामदेव गोदारा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
3. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03
4. विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 27.3.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिंणली चौसिरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 156 कायम हुए। मूल खसरा संख्या 156 से विभक्त होकर खसरा संख्या 433/156,434/156 व 432/156 बने। खसरा संख्या 433/156 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है,खसरा संख्या 432/156 खाता संख्या 01 में अवस्थित है तथा खसरा संख्या 434/156 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण की खसरा संख्या 433/156 व 432/156 की मौका स्थिति से विपरीत जाकर लटढा नक्शा ट्रेस में अशुद्व तरमीम किए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अंत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का मौक़े पर माफिक कब्जा काश्त परिशिष्ट अ अनुसार नक्शा लटढा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रामदेव चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इकलाबी जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया गया।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम सिणली चौसिरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 156 कायम हुए। मूल खसरा संख्या 156 से विभक्त होकर खसरा संख्या 433/156,434/156 व 432/156 बने। खसरा संख्या 433/156 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है,खसरा संख्या 432/156 खाता संख्या 01 में अवस्थित है तथा खसरा संख्या 434/156 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 के मध्य कोई विवाद नहीं है,लेकिन मूल खसरान से विभक्त होकर बनें होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 433/156 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगते ही खसरा संख्या 42/156 राज.सरकार खाता नम्बर 01 है। खसरा संख्या 432/156 मे ही श्मसान व नाड़ी अवस्थित है,लेकिन विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति से विपरीत जाकर किए जाने के कारण वर्तमान लटढा नक्शानुसार श्मसान व नाड़ी प्रार्थीगण की भूमि मे आना बताया जा रहा है,जिसके कारण मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चारो तरफ तारबंदी की हुए है। अशुद्व तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि अशुद्व तरमीम होना का उल्लेख मौका रिपोर्ट मे भी आ चुका है। अंत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विदयमान तरमीम को अपास्त करते हुए प्रार्थीगण का मांफिक कब्जा काश्त एवं परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्त की जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

5.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 02 की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का मौके पर कब्जा काश्त मुताबिक ही तरमीम हो रखी है। खसरा संख्या 432/156 ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा श्मसान धाट हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है,जिसमें सार्वजनिक श्मसान धाट अवस्थित है तथा उक्त भूमि आमजन के सार्वजनिक धाट में उपयोग ली जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र की आड़ में श्मसान घाट की भूमि को हड़प करने की नियत से आवेदन पेश किया है तथा श्मसान घाट भूमि पर आए दिन अवैध कब्जा करने

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की कोशिश की जा रही है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिणली चौसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 433/156 प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है,खसरा संख्या 432/156 राज. सरकार खाता नम्बर 01 में अवस्थित है तथा खसरा संख्या 434/156 विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि में अवस्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट अवलोकन से यह तो प्रतीत होता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 433/156 व 432/156 की तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप नही हो रखी है,लेकिन भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह कहीं स्पष्ट नही किया है कि विवादित आराजी की तरमीम कायम होने का तत्समय क्या आधार रहा था तथा प्रार्थीगण पक्ष द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया,जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी की तरमीम होना का यह आधार था। इस प्रकार दोनो पक्ष अपना अपना पक्ष पूरी तरह साबित नहीं कर पाए है तथा न ही मौका रिपोर्ट में स्पष्टा है। लेकिन यह तो तय है कि विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,क्योकि विप्रार्थी प्रार्थीगण के आवेदन को पूरी तरह गलत होना साबित नही कर पाएं है। इस कारण विदयमान तरमीम को यथावत रखा जानां उचित प्रतीत नहीं होता है तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जानां न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सिणली चौसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 433/156 व 432/156 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि आप स्वंय विवादित आराजी का मौका मुआयना करते हुए मौका स्थिति एवं रेकर्ड को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.6.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
27/06/25